रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072024-255929
CG-DL-E-30072024-255929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2905] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2024/श्रावण 8, 1946
No. 2905] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2024/SHRAVANA 8, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

का.आ. 3046(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में लगी हुई सेवाओं, अर्थात्:-

(क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद

(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक;

(ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद;

(घ) प्रतिभूति पेपर मिल, होशंगाबाद;

(ङ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की सेवाएं; और

(च) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड

जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के क्रमश: मद 11, मद 12 [(ख) और (ग) दोनों], मद 21, मद 22 और मद 25 के अधीन आते हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होने के कारण उक्त औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के अंतर्गत घोषित किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 362(अ), तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रमों को अंतिम रूप से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 30 जनवरी, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और उक्त उप-खण्ड (vi) के परन्तुक में यह उपबंध है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, इसे छह महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि सार्वजनिक हित में विस्तार की आवश्यकता है, अधिसूचना संख्या का. आ. 362 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2024 में निर्दिष्ट अवधि को 30 जुलाई, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी

[फा. सं. एस.-11017/02/2024-आईआर(पीएल)]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

S.O. 3046(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance, namely, the –

(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad;

(b) India Security Press, Nashik;

(c) Security Printing Press, Hyderabad;

(d) Security Paper Mill, Hoshangabad;

(e) Services in the Bank Note Press, Dewas; and

(f) Currency Note Press, Nashik Road,

which are respectively covered under items 11, 12 [both (b) and (c)], 21, 22 and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act declared the said Industrial undertaking under sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th January, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 362(E), dated the 29th January, 2024;

And whereas the proviso to said sub-clause (vi) provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a not exceeding six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause(vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension hereby extends the period specified in the notification number S.O. 362 (E), dated the 29th January, 2024 for a further period of six months from the 30th July, 2024 during which the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act,

[F. No. S-11017/02/2024 -IR (PL)]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA